jktdh; dU;k egkfo|ky;] f'keyk&1 dh vof/k 1-4-2008 ls 31-3-2010 rd ds ys[kks dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

Hkkx&,d

1 foxr ys[kk ijh{kk izfrosnu %&

महाविद्यालय के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निमनानुसार है। चूंकि अनिर्णीत पैरों के निपटारे के सन्दर्भ में गम्भीरता से रूचि नहीं ली गई, जिस कारण वर्ष 1977 से अनेकों पैरे निपटारे हेतु अनिर्णीत पड़े हैं। अतः संस्थाध्यक्ष से आग्रह है कि अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु ठोस कदम उठाए जाएं व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 9@77 ls 3@83 rd

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(बी)(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(बी)(2)से(15)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(सी)तथा(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(जी)से(एम)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(बी)से(डी)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(ए)तथा(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 8(ए)से(एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(ए)तथा(बी)	अनिर्णीत
11	पैरा 10(ए)से(ई)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(ए)तथा(बी)	अनिर्णीत
13	पैरा 13	अनिर्णीत
14	पैरा 14(ए)तथा(बी)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(ए)से(डी)	अनिर्णीत
16	पैरा 16	अनिर्णीत

17	पैरा 17	अनिर्णीत
18	पैरा 18(ए)	अनिर्णीत
19	पैरा 19	अनिर्णीत
20	पैरा 20	अनिर्णीत
21	पैरा 21	अनिर्णीत
22	पैरा 22(ए)से(डी)	अनिर्णीत
23	पैरा 23 से 25	अनिर्णीत

¼[k½ vid{k.k ifronu vof/k 4@83 ls 3@87 rd

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6 से 7	अनिर्णीत
3	पैरा 9 से 15	अनिर्णीत
4	पैरा 16(ए से सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 16(आर)	अनिर्णीत
6	पैरा 16(ए से ई) तथा (क्यू से ज़ैड)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(ए से आई)	अनिर्णीत
8	पैरा 18 से 21	अनिर्णीत
9	पैरा 22(ए से ई)	अनिर्णीत
10	पैरा 23(ए से सी)	अनिर्णीत
11	पैरा 26	अनिर्णीत
12	पैरा 27(ए से जी)	अनिर्णीत
13	पैरा ......(ए,बी,सी छात्रा निधि)	अनिर्णीत

¼x½ vid{k.k ifronu vof/k 4@87 ls 3@88 rd

1	पैरा 4(बी)(3)	अनिर्णीत

2	पैरा 5 से 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ए तथा बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(1 तथा 2)	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 12(1 से 3)	अनिर्णीत
7	पैरा 14(1 से 3)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(5 से 8)	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत

¼?k½ vid{k.k ifronu vof/k 4@88 ls 3@90 rd

1	पैरा 4 से 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9 से 18	अनिर्णीत
3	पैरा 20 से 21	अनिर्णीत

¼3½ vid{k.k ifronu vof/k 4@90 ls 3@92 rd

1	पैरा 5 से 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8(1से 4)(6 तथा 7)	अनिर्णीत
3	पैरा 9 तथा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 12 से 14	अनिर्णीत

¼p½ vid{k.k ifronu vof/k 4@92 ls 3@94 rd

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1,3,4,5—क,ख, 6 व 7)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 9 व 10	अनिर्णीत

6	पैरा 12	अनिर्णीत

¼N½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@94 ls 25-2-1997 rd

1	पैरा 3 तथा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5(1,2,3)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 से 11	अनिर्णीत
4	पैरा 13 से 26	अनिर्णीत

¼t½ vad{k.k ifrosnu vof/k 26-2-97 ls 3@03 rd

1	पैरा 4(3 तथा 4)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(4 व 5)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(4)	आंषिक निर्णीत
5	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(7)	अनिर्णीत
7	पैरा 7	अनिर्णीत
8	पैरा 8(1), 2(क,ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 8(4,5,6,क,ख,7,8,9 तथा 10 से 28)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(1,2,3,4)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(6,7 तथा 8)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(1,2,3,4,5)	अनिर्णीत
13	पैरा 11 से 15	अनिर्णीत

¼>½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@2003 ls 3@2006 rd

1	पैरा 5	आंषिक निर्णीत
2	पैरा 9 से 11	अनिर्णीत
3	पैरा 12	आंषिक निर्णीत

4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 17	आंषिक निर्णीत
6	पैरा 19 से 22	अनिर्णीत
7	पैरा 25 से 28	अनिर्णीत
8	पैरा 32	अनिर्णीत
9	पैरा 34 से 39	अनिर्णीत

¼.k½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@2006 ls 3@2008 rd

1	पैरा 3	निर्णीत	लेखा परीक्षा शुल्क की ₹14,000.00 की राशि चेक संख्या 930714, दिनांक 12.2.2009 द्वारा अदा की जा चुकी है।
2	पैरा 4	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट है।
3	पैरा 5 से 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 9	निर्णीत	क्योंकि ₹12,250.00 में से ₹12,125.00 सम्बन्धित प्रवक्ता ने विलम्ब शुल्क के रूप में अपनी जेब से विष्वविद्यालय में जमा किए थे तथा शेष ₹125.00 का लेखांकन कर लिया गया है।
5	पैरा 10	निर्णीत	क्योंकि पैरे में वर्णित 23 छात्राओं में से 17 छात्राओं के पास कोई प्रैक्टिकल विषय नहीं था तथा शेष 6 छात्राओं से सम्बन्धित ₹720.00 की भरपाई दोषी कर्मचारी से अंकेक्षण के समय रसीद संख्या 302603, दिनांक 7.5.2010 द्वारा कर ली गई है।
6	पैरा 11 तथा 12	अनिर्णीत	
7	पैरा 13	निर्णीत	
8	पैरा 14 से 16	अनिर्णीत	
9	पैरा 17	निर्णीत	अपेक्षित कार्यवाही कर दी गई है।
10	पैरा 18	अनिर्णीत	
11	पैरा 19	निर्णीत	पैरे में वर्णित 89 छात्राओं में से 14 छात्राऐं विष्व विद्यालय मे पहले से ही पंजीकृत थी तथा शेष 75 छात्राओं से सम्बन्धित ₹9,000.00 की वसूली अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 302604, दिनांक 7.5.2010 द्वारा

			कर ली गई है।
12	पैरा 20	आंषिक निर्णीत	वसूल की गई ₹190.00 की राशि के चालान की पुष्टि आगामी अंकेक्षण से करवा ली जाए।
13	पैरा 21 तथा 22	अनिर्णीत	
14	पैरा 23	निर्णीत	क्योंकि ₹750.00 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 460263, दिनांक 7.5.2010 द्वारा कर ली गई है।
15	पैरा 24 से 27	अनिर्णीत	
16	पैरा 28	आंषिक निर्णीत	क्योंकि ₹14,25,944.00 मिश्रित निधि में जमा तो कर लिए किन्तु अनियमित भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति अभी भी प्राप्त नहीं की गई है। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।
17	पैरा 29	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित है।
18	पैरा 30	निर्णीत	बषर्ते कि भविष्य में मिश्रित निधि को वेतन भुगतान का माध्यम बनाए जाने की प्रक्रिया को आष्वासनानुसार बन्द किया जाए।
19	पैरा 31	निर्णीत	क्योंकि रोकड़ बही में प्रविष्टयों का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया है।
20	पैरा 32 से 36	अनिर्णीत	
21	पैरा 37	निर्णीत	क्योंकि रोकड़ बही में प्रविष्टियों का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया है।
22	पैरा 38 तथा 39	निर्णीत	क्योंकि अपेक्षित राशि दिनांक 24.3.2009 को वापिस मिश्रित निधि में जमा कर ली गई है।
23	पैरा 40	अनिर्णीत	
24	पैरा 41 तथा 42	आंषिक निर्णीत	शेष अनुपयुक्त रसायनों/पदार्थों का भी पूर्ण उपयोग कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।
25	पैरा 43	आंषिक निर्णीत	शेष पड़ी अनुपयोगी वस्तुओं/सामग्री को भी अनुपयोगी घोषित करके नीलामी की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्षाई जाए।
26	पैरा 44 से 50	अनिर्णीत	
27	पैरा 51 तथा 52	निर्णीत	क्योंकि ये पैरे नेमी प्रकार (routine notice) के होने वश

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी प्रविष्ट हो रहे हैं।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

राजकीय कन्या महाविद्यालय षिमला–1 के अवधि 4/2008 से 3/2010 तक के लेखों का लेखा परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्षाए गए हैं श्री डी0आर0 चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 5.4.2010 से 7.5.2010 तक किया गया। इस लेखा परीक्षण हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नानुसार है :–

vof/k@o"kZ	vk;	O;;
2008–2009	जून, 2008	दिसम्बर, 2008
2009–2010	मार्च, 2009	नवम्बर, 2009

अनुवर्ती पैरों में दर्षाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया तथा यह अंकेक्षण प्रतिवेदन राजकीय कन्या महाविद्यालय षिमला–1 के प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है तथा उपलब्ध करवाई गई किसी सूचना के गलत अथवा अपूर्ण होने की अवस्था में अथवा किसी सूचना के उपलब्ध न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 1.4.2008 से 31.3.2010 तक के लेखाओं के लेखा परीक्षण का शुल्क ₹14,000.00 बनता है तथा शुल्क की राशि निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश षिमला–9 के नाम रेखांकित ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से प्रेषित करने हेतु प्रधानाचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, षिमला–1 से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 57, दिनांक 7.5.2010 द्वारा अनुरोध किया गया था।

4 foÙkh; fLFkfr %&

(1) महाविद्यालय के लेखाओं अवधि 4/2008 से 3/2010 की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट 'क' पर है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.2010 को विभिन्न छात्र निधियों में ₹1,27,70,474.00 की राशि शेष थी तथा ₹79,03,101.00 की राशि एफ0डी0आर0 के रूप में थी।

(2) छात्रावास निधि की वित्तीय स्थिति यथा संलग्न परिशिष्ट 'ख' पर है जिसके अनुसार 31.3.2010 को अन्तिम शेष ₹3,03,830.28 था।

(3) दिनांक 31.3.2010 को पुस्तकालय प्रतिभूति राशि का अन्तिम शेष यथा विवरण परिशिष्ट 'ग' पर ₹19,75,822.60 था।

(4) जबत की गई पुस्तकालय प्रतिभूति खाते में 31.3.2010 को यथा विवरण परिशिष्ट 'घ' के अनुसार ₹1,03,417.00 की राशि शेष थी। यह खाता दिनांक 11.4.2009 को पुस्तकालय प्रतिभूति खाते से सम्बन्धित एफ0डी0आर0 संख्या 510800418, राशि ₹10,90,532.00 के विरूद्ध ₹2,50,000.00 का ऋण लेकर खोला गया। इसके पष्चात इस खाते में निम्न विवरणानुसार ब्याज क्रैडिट के अतिरिक्त कोई अन्य क्रैडिट संचालन नहीं किया गया है :–

(क) दिनांक 3.8.2009 को ब्याज = ₹1,083.00

(ख) दिनांक 7.2.2010 को ब्याज = ₹1,924.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि छात्राओं द्वारा बेदावी (Unclaimed) पुस्तकालय प्रतिभूति का समपहरण नियमानुसार नहीं किया गया है जिस सन्दर्भ में समय रहते कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त चूंकि यह खाता उपरोक्त एफ0डी0आर0 के विरूद्ध ₹2,50,000.00 का ऋण लेकर खोला गया है तथा उक्त एफ0डी0आर0 की ब्याज दर 8.75% प्रतिवर्ष है इस लिए इस प्रकरण पर अंकेक्षण द्वारा इस पहलु पर चर्चा की गई थी कि जो ऋण एफ0डी0आर0 के विरूद्ध उठाया गया है, उस पर ब्याज दर क्या होगी ? किन्तु महाविद्यालय के सम्बन्धित सभी प्राधिकारियों द्वारा इस विषय में अनभिज्ञता प्रकट किए जाने के कारण यह विषय सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए तथा यदि उक्त ब्याज दर तथा समपहृत पुस्तकालय प्रतिभूति खाते में अर्जित ब्याज की कुल राशि एफ0डी0आर0 की ब्याज दर अर्थात ₹8.75% प्रतिवर्ष के हिसाब से प्राप्त राशि के समतुल्य न हो तो तत्काल एफ0डी0आर0 के विरूद्ध उठाए गए ऋण की वापसी की व्यवस्था की जाए ताकि महाविद्यालय को अधिक अदा किए जाने वाले ब्याज के रूप में होने वाली सम्भावित हानि से बचाया जा सके।

5 lkof/k fuos'k %&

दिनांक 31.3.2010 को महाविद्यालय द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में किए गए सावधि निवेषों का वर्णन निम्ननानुसार है :–

fuf/k ftlls fuos'k fd;k x;k gS	cSd dk fooj.k tgka fuos'k fd;k x;k gS	fuos'k dh frfFk rFkk lkof/k tek la[;k	fuos'k dh jkf'k ¼₹½	C;kt nj ,oa vof/k	fuos'k dh ifjiDork frfFk	lkof/kd tek dh ifjiDork jkf'k
छात्र निधि	इन्डियन ओवरसीज़	19.2.2009 RDP 239/05	79,03,101.00	8% वार्षिक	19.2.12	1,00,23,045.00

	बैंक आर0के0एम0बी0 षिमला–1			(3 वर्ष के लिए)		
पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	इन्डियन ओवरसीज़ बैंक आर0के0एम0बी0 षिमला–1	11.4.2008 FDR no. 828629/418/ 2008, dated 11-4-2008	10,90,532.00	8.75% वार्षिक	11.4.11	14,13,877.00
पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, षिमला–1	4.10.2006	2,71,221.00	6% वार्षिक	4.10.09	

चूंकि उपरोक्त क्रम संख्या 3 पर वर्णित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित, षिमला–1 में निवेश की गई ₹2,71,221.00 की एफ0डी0आर0 की परिपक्वता तिथि 4.10.2009 थी तथा उकत एफ0डी0आर को अंकेक्षण समाप्ति तक भुनाया नहीं गया था, अतः उक्त एफ0डी0आर0 को यथा शीघ्र भुनाया जाना सुनिष्चित किया जाए या परिपक्वता की तिथि से पुनर्निवेश किया जाए ताकि ब्याज की हानि न हो। यदि उक्त एफ0डी0आर0 को विलम्ब से भुनाने में ब्याज के रूप मे किसी प्रकार की हानि हो रही हो तो उक्त हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना यथासमय अंकेक्षण को दर्षाई जाएं इसके अतिरिक्त भविष्य में निवेश की गई राशि को परिपक्वता तिथि पर भुनाया जाना/पुणः निवेश करना व अर्जित ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही में यथा समय किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

(2) वित्तीय वर्ष 2008–2009 के दौरान महाविद्यालय को विष्वविद्यालय अनुदान आयोग से यथा विवरण परिशिष्ट 'ङ' तथा परिशिष्ट 'च' के अनुसार क्रमशः ₹83,232.00 तथा ₹8,60,064.00 की अनुदान राशियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से ₹83,232.00 की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यथा परिशिष्ट 'छ') महाविद्यालय द्वारा विष्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। अन्य प्राप्त ₹8,60,064.00 की राशि का उपयोग भी विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप किया जाना व तदानुसार ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उक्त आयोग को समय रहते प्रेषित किया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। उपरोक्त प्राप्त अनुदानों के रोकड़ बही में लेखांकन की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

6 fooj.k if=dk ¼**Prospectus**½ fcØh e: ₹24]900-00 dk nfo'fu;kstu ¼&

महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2008–2009 के सत्र के दौरान विवरण पत्रिका (Prospectus) का ₹30.00 प्रति विवरण पत्रिका निर्धारित किया गया था तथा उकत सत्र में कुल 4000 विवरण पत्रिकाऐं प्रकाषित की गई थी। इन

छपवाई गई 4000 विवरण पत्रिकाओं में से 2800 विवरण पत्रिकाओं का लेखा जोखा सम्बन्धित कनिष्ठ सहायक, श्री ओ0सी0 मच्छान, द्वारा निम्न विवरणनुसार कार्यालय में जमा करवाया गया :–

Øekad	jlhn la[;k o fnukad	jkf'k tks tek dh xbZ
1	91719, दिनांक 11.6.2008	₹9,000.00
2	91810, दिनांक 12.6.2008	₹6,000.00
3	91892, दिनांक 13.6.2008	₹3,000.00
4	52604, दिनांक 16.6.2008	₹12,000.00
5	52755, दिनांक 17.6.2008	₹6,000.00
6	52904, दिनांक 19.6.2008	₹12,000.00
7	0080774, दिनांक 24.6.2008	₹15,000.00
8	0080911, दिनांक 24.6.2008	₹3,000.00
9	0063361, दिनांक 26.6.2008	₹3,000.00
10	0057599, दिनांक 30.6.2008	₹3,000.00
11	91713, दिनांक 10.6.2008	₹12,000.00
	dqy ;ksx	₹84]000-00

vFkkZr ₹84]000@30¾2800 fooj.k i=dk,a

उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कनिष्ठ सहायक द्वारा 830 विवरण पत्रिकाओं का मूल्य निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण के समय कार्यालय में जमा करवाया :–

Øekad	jlhn la[;k o fnukad	jkf'k tks tek dh xbZ
1	0302602, दिनांक 4.5.2010	₹18,900.00
2	0302607, दिनांक 7.5.2010	₹6,000.00
	dqy ;ksx	₹24]900-00

इसके अतिरिक्त 75 अदद विवरण पत्रिकाऐं विभिन्न प्रवेश कमेटियों को जारी की हुई दर्षाई गई व शेष 295 विवरण पत्रिकाऐं स्टॉक में शेष दर्षाई गई।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा ₹24,900.00 का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया था तथा अंकेक्षण के समय मामला प्रकाश में आने पर ही राशि कार्यालय में जमा करवाई गई। ऐसे प्रकरणों का घटित होना प्रभावषाली नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की कमी को दर्षाता है। अतः यह प्रकरण महाविद्यालय के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ इस प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने के उद्देष्य से लाया जाता है।

7 n.M 'kYd dh ₹51]690-00 dh de olyh %&

वर्ष 2009–2010 के अनुपस्थिति दण्ड शुल्क रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न छात्राओं से अनुपस्थिति दण्ड शुल्क के निम्न विवरणानुसार ₹2,35,370.00 वसूल किए जाने अपेक्षित थे :–

Øekd	d{kk dk fooj.k	vuifLFkfr n.M 'kYd jftLVj i"B l[;k	tekuk tk n; curk gA
1	बी.ए प्रथम वर्ष	3 से 45	₹72,048.00
2	बी.एस.सी प्रथम वर्ष नान मैडिकल	47 से 50	₹6,420.00
3	बी.एस.सी प्रथम वर्ष मैडिकल	55 से 58	₹5,111.00
4	बी.कॉम प्रथम वर्ष	66 से 73	₹10,181.00
5	बी.ए प्रथम वर्ष आनर्ज़	74 से 75	₹2,251.00
6	बी.ए द्वितीय वर्ष	78 से 106	₹57,162.00
7	बी.एस.सी प्रथम वर्ष नान मैडिकल	109 से 111	₹4,121.00
8	बी.एस.सी द्वितीय वर्ष मैडिकल	118 से 120	₹3,695.00
9	बी.कॉम द्वितीय वर्ष	126 से 132	₹10,769.00
10	बी.ए द्वितीय वर्ष आनर्ज़	133	₹839.00
11	बी.ए तृतीय वर्ष	138 से 158	₹45,135.00

12	बी.एस.सी तृतीय वर्ष नॉन मैडिकल	168 से 170	₹3,531.00
13	बी.एस.सी तृतीय वर्ष मैडिकल	176 से 178	₹7,601.00
14	बी.कॉम तृतीय वर्ष	189 से 191	₹6,506.00
15	बी.ए तृतीय वर्ष आनर्ज़	इस कक्षा से वसूली योग्य अनुपस्थिति दण्ड शुल्क का विवरण सम्बन्धित रजिस्टर में नहीं है जबकि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8(5) में दिए गए विवरणानुसार ₹495.00 की राशि की वसूली इस कक्षा की छात्राओं से भी की गई है।	
		dy oly ;kX; jkf'k	₹2]35]370-00

किन्तु उपरोक्तानुसार ₹2,35,370.00 की वसूली सुनिष्चित न करके महाविद्यालय कार्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार केवल ₹1,83,680.00 ही वसूल किए गए :–

Øekd	fnukd	oly xb dy jkf'k	jkdM cg i"B l[;k tgk oly xb jkf'k dk y[kkdu fd;k x;k g
1	17.2.2010	₹40.00	पृष्ठ–182
2	24.2.2010	₹11,076.00	पृष्ठ–182
3	25.2.2010	₹9,614.00	पृष्ठ–182
4	2.3.2010	₹17,194.00	पृष्ठ–185
5	3.3.2010	₹16,834.00	पृष्ठ–185
6	4.3.2010	₹14,437.00	पृष्ठ–185
7	5.3.2010	₹20,922.00	पृष्ठ–185
8	6.3.2010	₹14,102.00	पृष्ठ–185
9	8.3.2010	₹9,519.00	पृष्ठ–185
10	9.3.2010	₹18,476.00	पृष्ठ–185
11	10.3.2010	₹21,867.00	पृष्ठ–185
12	11.3.2010	₹6,413.00	पृष्ठ–185

13	12.3.2010	₹21,487.00	पृष्ठ–185
14	13.3.2010	₹542.00	पृष्ठ–185
15	15.3.2010	₹842.00	पृष्ठ–185
16	18.3.2010	₹315.00	पृष्ठ–185
	dqy ;kx	₹1]83]680-00	

इस प्रकार ₹2,35,370.00–1,83,680.00=51,690.00 की राशि कम वसूल हुई है। अतः न केवल उक्त ₹51,690.00 की वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाइ जाए अपितु अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008 के अंकेक्षण पैरा 6 में वर्णित इसी प्रकार की ₹31,137.00 की वसूली के सन्दर्भ में भी तुरन्त उचित कार्रवाई की जाए तथा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई कार्रवाई न करने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 vuqifLFkfr n.M 'kqYd ls lEcfU/kr vfHkys[k dk mfpr j[k&j[kko u gksuk %&

महा विद्यालय द्वारा अनुपस्थिति दण्ड शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव उचित नहीं है जैसा कि निम्न अनियमितताओं से स्वतः स्पष्ट हो जाता है :–

(1) अनुपस्थिति रजिस्टर/चार्ट के रख–रखाव में एक रूपता नहीं है। कई रजिस्टरों/चार्टों में बिन्दु अंकित किए गए हैं तो कहीं गिनती दर्षाई गई है जबकि अपेक्षित उपस्थिति अनुपस्थिति बहुत ही कम रजिस्टरों में दर्षाई गई हैं। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(2) अनुपस्थिति सूचियों की जुर्माना शुल्क रजिस्टर में समस्त प्रविष्टियों को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है तथा सांयोगिक रूप से (Randomly) यदि कहीं किया भी गया है तो उस पृष्ठ पर भी अंकों (Figures) में अनेक कांट–छांट व अधिलेखन किया गया है जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है। ऐसी अवस्था में उक्त प्राधिकारी द्वारा किसी पृष्ठ पर कृत समस्त प्रविष्टियों के सत्यापन के एवज़ में कृत मात्र एक हस्ताक्षर अपने आप में तात्पर्य रहित हो जाता है। अतः भविष्य में इस सन्दर्भ में व्यापक सुधार कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(3) अनुपस्थिति दण्ड शुल्क के संकलन का कार्य एक अंषकालिक (Part time) कर्मचारी को दिया गया है जिसका पर्यवेक्षण भी उचित प्रकार से नहीं किया जाता। अतः न केवल अक्षम कर्मचारी को यह महत्वपूर्ण कार्य दिया जाना तत्काल बन्द किया जाए अपितु इस कार्य का प्रभावषाली पर्यवेक्षण भी सक्षम प्राधिकारी से करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

(4) बी0ए0 तृतीय वर्ष से सम्बन्धित अनुपस्थिति जुर्माना शुल्क रजिस्टर के पृष्ठ–157–158 पर रोल नम्बर 4200 के पष्चात कोई रोल नम्बर अंकित नहीं है जबकि उक्त पृष्ठों पर विभिन्न 52 छात्राओं से ₹3,301.00 का दण्ड शुल्क प्राप्य (Due) दर्षाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में छानबीन कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) अनुपस्थिति जुर्माना शुल्क रजिस्टर में बी0ए0 तृतीय वर्ष आनर्ज की किसी छात्रा से अनुपस्थिति जुर्माना शुल्क प्राप्त सम्बन्धी कोई प्रविष्टी नहीं है अर्थात इस रजिस्टर के अनुसार उक्त कक्षा की किसी छात्रा से उक्त शुल्क प्राप्त नहीं किया जाना है जबकि इसके विपरीत निम्न विवरणानुसार इस कक्षा की 15 विभिन्न छात्राओं से ₹495.00 की वसूली बतौर अनुपस्थिति जुर्माना शुल्क के रूप में की गई है :–

Øekad	Nk=k dk uke	jksy uEcj	olwyh xbZ jkf'k	olwyh dh frfFk
1	निषा	5160	₹15.00	11.3.2010
2	कृष्णा शर्मा	5153	₹19.00	12.3.2010
3	रूचिका	5151	₹15.00	12.3.2010
4	कामिनी	5154	₹36.00	12.3.2010
5	प्रीति	5159	₹25.00	12.3.2010
6	किरण गौतम	5152	₹22.00	12.3.2010
7	सुष्मिता	5166	₹32.00	12.3.2010
8	नेहा	5163	₹16.00	12.3.2010
9	संगीता नेगी	5165	₹38.00	12.3.2010
10	प्रतिमा	5164	₹64.00	12.3.2010
11	निषा	5155	₹26.00	12.3.2010
12	ललिता	5156	₹15.00	12.3.2010
13	परमजीत कौर	5158	₹21.00	12.3.2010
14	रेणु	5167	₹46.00	12.3.2010
15	पूनम	5161	₹28.00	12.3.2010

16	मोनिका	5162	₹77.00	12.3.2010
		d|y ;kx	₹495-00	

अतः उपरोक्त अवस्था में की गई ₹495.00 की वसूली का स्पष्टीकरण दिया जाए अन्यथा अनुपस्थिति जुर्माना शुल्क रजिस्टर में उपरोक्त वसूली के सन्दर्भ में प्रविष्टियां न किए जाने के कारण स्पष्ट किए जाऐ।

9 jlhn c|dk d y[kk dk j[k&j[kko mfpr u gkuk %&

महाविद्यालय के रसीद बुक लेखों का रख–रखाव उचित प्रकार नहीं रखा गया है जैसा कि निम्न प्रकरणों से भी स्पष्ट हो जाता है :–

(1) स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–52 व 53 पर कृत प्रविष्टियों के अनुसार महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार 140 अदद रसीद पुस्तिकाऐं प्राप्त हुई हैं :–

(क) रसीद बुक संख्या 1 से 500	= 10 रसीद बुकें
(ख) रसीद बुक संख्या 8001 से 9000	= 20 रसीद बुकें
(ग) रसीद बुक संख्या 9001 से 10000	= 20 रसीद बुकें
(घ) रसीद बुक संख्या 4501 से 5000	= 10 रसीद बुकें
(ङ) रसीद बुक संख्या 5001 से 6000	= 20 रसीद बुकें
(च) रसीद बुक संख्या 6001 से 7000	= 20 रसीद बुकें
(छ) रसीद बुक संख्या 7001 से 8000	= 20 रसीद बुकें
(ज) रसीद बुक संख्या 1001 से 2000	= 20 रसीद बुकें
d|y	¾ 140 jlhn c|d

उपरोक्त रसीद बुकें किस स्त्रोत से प्राप्त हुई हैं अर्थात क्या छपवाई गई हैं अथवा कहीं से हस्तांतरित हुई है का न तो कोई उल्लेख स्टॉक रजिस्टर पर उपलब्ध है और न ही अंकेक्षण के समय इस सन्दर्भ में कोई सन्तोषजनक उत्तर महाविद्यालय कार्यालय द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में स्टॉक रजिस्टर में कृत प्रविष्टियां भी किसी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं हैं। अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त कृत स्टॉक प्रविष्टियों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी से करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जानी सुनिष्चित की जाए।

(2) उपरोक्त 140 रसीद बुकों में से 100 रसीद बुकें फीस लिपिक तथा छात्रावास लिपिक को विभिन्न तिथियों में जारी की गई है जेसा कि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–52 तथा 53 के अवलोकन से विदित होता है। जहां तक निम्न विवरणानुसार शेष 40 रसीद बुकों का प्रष्न है, इनके जारी किए जाने सम्बन्धी कोई प्रविष्टियां अंकेक्षण को

नहीं दर्षाई गई। अतः यह सुनिष्चित किया जाए कि यह रसीद पुस्तिकाऐं महाविद्यालय स्टॉक में ही उपलब्ध है अन्यथा इन्हें जारी किए जाने सम्बन्धी कृत विधिवत स्टॉक प्रविष्टियां अंकेक्षण को दर्षाई जाएं शेष पड़ी रसीद पुस्तिकाओं का विवरण इस प्रकार है :—

(क) रसीद पुस्तिका संख्या 1001 से 2000 = 20 अदद

(ख) रसीद पुस्तिका संख्या 9001 से 10000 = <u>20 अदद</u>

d|y ¾ <u>40 vnn</u>

(3) विभिन्न कर्मचारियो को रसीद पुस्तिकाएं क्रमवार (Serial wise) जारी नहीं की जाती जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या (1) तथा (2) के तुल्नात्मक अध्ययन से भी स्पष्ट हो जाता हैं अतः रसीद बुकों की प्राप्ती व निर्गम की स्टॉक प्रविष्टियां क्रमवार की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि तत्काल ही यह ज्ञात हो सके कि भण्डार से कौन—कौन सी रसीद पुस्तिकाऐं जारी हो चुकी हैं और कौन—कौन से रसीद पुस्तिकाऐं भण्डार में शेष उपलब्ध हैं तथा जहां तक सम्भव हो सके तो वह रसीद पुस्तिकाऐं पहले जारी की जाऐं जो पहले प्राप्त हुई हो अर्थात रसीद पुस्तिकाओं का निर्गम क्रमानुसार (First in First out) अधार पर होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का सभ्रम उत्पन्न न हो।

(4) स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ—54 पर प्रविष्टि के अनुसार रसीद पुस्तिकाऐं क्रम संख्या 24001 से 25000 =20 अदद प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय, नेरवां, जिला षिमला को जारी की गई है। किन्तु यह रसीद पुस्तिकाऐं राजकीय कन्या महाविद्यालय, षिमला को किस स्त्रोत से प्राप्त हुई थी, का न तो कोई उल्लेख स्टॉक रजिस्टर में है और न ही इस सन्दर्भ में महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि में कोई सन्तोषजनक प्रत्युत्तर दिया गया। अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन कर स्टॉक प्रविष्टि यथानुसार ही किया जाना व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

(5) स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ—54—54 पर रसीद पुस्तिकाओं के सन्दर्भ में कृत प्राप्ती व निर्गम की बहुत सारी प्रविष्टियां इस तरह उलझी हुई है कि यह भी स्पष्ट नहीं होता कि कौन सी प्रविष्टि प्राप्ती की है और कौन सी निर्गम की। अतः इस सन्दर्भ में सूधार/पुष्टि हेतु अपेक्षित कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

10 <u>fofHkUUk Nk=kvks ls izkIr fuf/k;ks dk ₹388-00 tek u djokuk</u> %&

महाविद्यालय की विभिन्न निधियों के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में विभिन्न छात्राओं से प्राप्त विभिन्न निधियों की राशि या तो कार्यालय में जमा ही नहीं करवाई गई और या फिर प्राप्त राशि से कम राशि जमा करवाई गई है जिस कारण कुल मिलाकर ₹388.00 की राशि कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है :—

(1) कुमारी शालिनी रोल नम्बर 4046 कक्षा बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष–नॉन मैडिकल से रसीद संख्या 005724 द्वारा कुल ₹1042 प्राप्त किए गए जबकि फीस प्राप्ती रजिस्टर में यह राशि ₹922 लिए जाने के कारण ₹120.00 कार्यालय मे कम जमा करवाए गए हैं।

(2) कुमारी कंचन रोल नम्बर 4046 कक्षा बी0ए0 तृतीय वर्ष से रसीद संख्या 0222787 द्वारा दिनांक 10.3.2010 को ₹84.00 अनुपस्थिति दण्ड शुल्क के रूप में प्राप्त किए गए तथा यह राशि न तो फीस प्राप्ति रजिस्टर और न ही रोकड़ बही में प्रविष्टि हो रही हैं। अतः यह राशि कार्यालय में जमा नहीं हुई है।

(3) कुमारी वीना, रोल नम्बर 4035 कक्षा बी0ए0 तृतीय वर्ष से ₹60.00 रसीद संख्या 0222755 दिनांक 10.3. 2010 द्वारा अनुपस्थिति दण्ड शुल्क के रूप में प्राप्त किए गए जिसका लेखांकन करते समय फीस प्राप्ति रजिस्टर में यह राशि मात्र ₹6.00 लिए जाने के कारण कार्यालय में ₹54.00 कम जमा करवाए गए हैं।

(4) कुमारी बंदिता बाली, कक्षा बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष से रसीद संख्या 0302231, दिनांक 12.3.10 द्वारा अनुपस्थिति दण्ड शुल्क के रूप में ₹41.00 की राशि प्राप्त की गई जिसका लेखांकन करते समय फीस प्राप्ती रजिस्टर में यह राशि शून्य दर्षाने वश ₹41.00 कार्यालय में जमा नहीं किए गए हैं।

(5) कुमारी संगीता, कक्षा बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष से रसीद संख्या 0063435, दिनांक 28.6.08 द्वारा ₹100.00 की राशि बतौर पुस्तकालय प्रतिभूति के प्राप्त की गई जो कि न तो फीस प्राप्ती रजिस्टर में और न ही रोकड़ बही में प्रविष्ट हो रही है। अतः यह ₹100.00 की राशि कार्यालय में जमा नहीं किए गए हैं।

(6) कुमारी आरती, कक्षा बी0ए0 प्रथम वर्ष रोल नम्बर 191 से रसीद संख्या 240986, दिनांक 2.3.2010 द्वारा अनुपस्थिति दण्ड शुल्क के रूप में ₹60.00 की राशि प्राप्त की गई जिसका लेखांकन करते समय फीस प्राप्ती रजिस्टर व रोकड़ बही में यह राशि शून्य दर्षाने वश ₹60.00 कार्यालय में जमा नहीं किए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य छुटपुट प्रकरणों के सन्दर्भ में महाविद्यालय कार्यालय द्वारा कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की गई जिसकी पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण द्वारा कर ली गई हैं। चूंकि वसूली गई राशि अपेक्षित वसूली से ₹71.00 अधिक है तथा यदि अधिक वसूले गए इन ₹71.00 का समाधान (impact) यहां अर्थात उपरोक्त 6 प्रकरणों में भी समायोजन किया जाए फिर भी कुल मिलाकर ₹120+84+54+41+100+60–71 = ₹388.00 कार्यालय में कम जमा किए गए हैं, जिसकी वसूली अभी भी अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त ₹388.00 की वसूली उचित स्त्रोत अथवा सम्बन्धित कर्मचारियेां से सुनिष्चित कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की चूक/पुनरावृति से निष्चित तौर पर परिहार करें।

11 iqLrdky; izfrHkwfr dh jksdM+ cgh esa izfof"V;ka izkfIr dh frfFk dh ctk, foyEc ls djuk %&

पुस्तकालय प्रतिभूति की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त रोकड़ बही में प्राप्ति की प्रविष्टियां वास्तविक तिथि में न करके बाद की तिथियों में की जाती है जो कि एक अनियिमितता है। रोकड़ बही में विलम्ब से की गई प्रविष्टियों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं :–

Øekad	Nk=kvksa ls iqLrdky; izfrHkwfr dh jkf'k izkIrh dh frfFk	jkf'k	jksdM+ cgh esa jkf'k dh izfof"V dh frfFk
1	11.6.2008	1,300.00	13.6.2008
2	12.6.2008	8,800.00	13.6.2008
3	13.6.2008	8,200.00	14.6.2008
4	14.6.2008	4,100.00	16.6.2008
5	16.6.2008	6,400.00	17.6.2008
6	17.6.2008	11,900.00	19.6.2008
7	19.6.2008	13,800.00	20.6.2008
8	20.6.2008	37,300.00	24.6.2008
9	23.6.2008	5,500.00	27.6.2008 को ₹4,400 तथा 28.6.2008 को ₹1,100.00
10	24.6.2008	6,600.00	27.6.2008
11	25.6.2008	4,00.00	27.6.2008
12	26.6.2008	4,500.00	27.6.2008
13	27.6.2008	4,300.00	30.6.2008
14	28.6.2008	4,800.00	30.6.2008
15	11.6.2009	5,000.00	19.6.2009
16	12.6.2009	6,600.00	19.6.2009
17	13.6.2009	3,300.00	19.6.2009

18	15.6.2009	6,600.00	19.6.2009
19	16.6.2009	7,600.00	19.6.2009
20	17.6.2009	6,600.00	19.6.2009
21	18.6.2009	18,600.00	19.6.2009
22	19.6.2009	19,700.00	20.6.2009
23	20.6.2009	16,400.00	22.6.2009
24	22.6.2009	5,600.00	23.6.2009
25	23.6.2009	5,900.00	23.6.2009
26	24.6.2009	4,000.00	25.6.2009
27	25.6.2009	5,100.00	26.6.2009
28	26.6.2009	3,800.00	27.6.2009
29	27.6.2009	3,200.00	29.6.2009
30	29.6.2009	6,900.00	30.6.2009
31	30.6.2009	9,600.00	₹9,500.00 दिनांक 2.7.2009 तथा ₹100.00 दिनांक 6.7.2009 को।

अतः उपरोक्त प्रकरणों में प्राप्त आय का लेखांकन रोकड़ बही मे विलम्ब से करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त प्राप्त आय का रोकड़ बही में लेखांकन प्रक्रियानुसार प्राप्ति वाले दिन ही किया जाना सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए व भविष्य हेतु भी संपरीक्षा सुझाव की अनुपालना सुनिष्चित की जाए।

12 diVi.k rjhd ¼Fraudulent way½ ls jlhn tkjh djuk %&

रसीद संख्या 0080661 से 0080700 (सिवाय रसीद संख्या 0080668 तथा रसीद संख्या 0080669 के) द्वारा दिनांक 23.6.2008 को विभिन्न छात्राओं से विभिन्न निधियों की वसूली के अतिरिक्त प्रत्येक छात्रा से नियमानुसार ₹20.00 विलम्ब शुल्क के रूप में प्राप्त किए गए हैं। उपरोक्त रसीद संख्या 0080668 रिक्त (Blank) दर्षाई गई है जबकि रसीद संख्या 0080669, दिनांक 20.6.2008 को कुमारी मन्ना, बी0ए0 द्वितीय वर्ष रोल नम्बर 3316 को जारी की हुई दर्षाई गई है जिसमें सम्बन्धित छात्रा से कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया हैं चुंकि रसीद संख्या 0080670 से 0080700 तक भी दिनांक 23.6.2008 को विलम्ब शुल्क सहित जारी की गई है, अतः स्पष्ट है कि

रसीद संख्या 0080669 कपटपूर्ण तरीके से दिनांक 20.6.2008 को जारी की हुई दर्षाइ गई है ताकि छात्रा से विलम्ब शुल्क की ₹20.00 की वसूली टाली जा सके।

यद्यपि इस प्रकरण में ₹20.00 की अपेक्षित वसूली अंकेक्षण के समय कर ली गई है, तथापि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति रोकने के लिए प्रभावशाली नियन्त्रण/पर्यवेक्षण सुनिष्चित किया जाए।

13 fngkMhnkj o vi'kdkyhu deipkfj;k dk etnjh dk Hkxrku vfu;fer :i l djuk

निम्नलिखित प्रकरणों में महाविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी व अंषकालीन कर्मचारियों को उनकी माह नवम्बर, 2008 व अक्तूबर, 2009 की मज़दूरी (Wages) का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया :–

Øekd	okÅpj l[;k	deipkjh dk fooj.k	Hkxrku dh xbl jkf'k
1	258/2008	श्री अनूप कुमार, दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी	₹3,000.00
2	259/2008	श्री राजेन्द्र कुमार, अंषकालीन कर्मचारी	₹975.00
3	260/2008	श्रीमति गीता, दैनिक वेतन भोगी सेवादार	₹3,000.00
4	261/08	श्री सोहन लाल, अंषकालीन सेवादार	₹975.00
5	262/2008	श्रीमति सुरेन्द्रा, दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी	₹3,000.00
6	263/2008	श्री कैदार सिंह, अंषकालीन सेवादार	₹975.00
7	267/2008	श्रीमति चम्पा देवी, अंषकालीन सेवादार	₹975.00
8	271/2008	श्री प्रेम चन्द, अंषकालीन सेवादार	₹975.00
9	209/2009	श्री राजेन्द्र कुमार, अंषकालीन कर्मचारी	₹975.00
10	210/2009	श्री सोहन लाल, अंषकालीन कर्मचारी	₹975.00
11	211/2009	श्रीमति चम्पा देवी, अंषकालीन कर्मचारी	₹975.00
12	212/2009	श्री प्रेम चन्द, अंषकालीन कर्मचारी	₹975.00
13	213/2009	श्रीमति गीता, दिहाड़ीदार सफाई कर्मचारी	₹3,410.00
14	214/2009	श्रीमति सुरेन्द्रा, दिहाड़ीदार सफाई कर्मचारी	₹3,410.00

15	215/2009	श्री अनूप कुमार, दिहाड़ीदार सफाई कर्मचारी	₹3,410.00

उपरोक्त भुगतान न तो नियमानुसार मस्टर रोल के आधार पर किया गया और न ही किए गए भुगतान के सन्दर्भ मे कोई बिल बनाया गया अपितु यह भुगतान मात्र सम्बन्धित कर्मचारियों के आवेदन पर कार्यालय अधीक्षक के सत्यापन व महाविद्यालय की (BURSAR) की संस्तुति (Recommendation) के आधार पर ही बिना प्रधानाचार्य के पारित आदेषों के किया गया है जो कि सम्पूर्णतया एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि ये भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पारित ही नहीं है।

अतः उपरोक्त व अन्य ऐसे प्रकरणों के नियमन के सन्दर्भ में भुगतान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से पारित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार का भुगतान मस्टररोल आधार पर विधिवत किया जाना सुनिष्चित करें। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008 के अंकेक्षण पैरा 34 के अनुरूप कार्यवाही न करने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 jkf'k ₹3]55]710-00 dh vfxze jkf'k dk lek;kstu u djuk %&

अग्रिम रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्र निधियों से पृथक कार्यों हेतु विभिन्न छात्र निधियों से पृथक कार्यों हेतु प्राध्यापकों व कर्मचारियों को जो अग्रिम प्रदान किए गए उन अग्रिमों में से यथा विवरण परिशिष्ट 'ज' ₹3,55,710.00 की राशि वर्ष 1998 से 31.3.2010 तक समायोजन हेतु षेष पड़ी थी। चूंकि असमायोजित यह राशि 31.3.2008 को ₹2,05,423.00 थी अतः यह स्पष्ट है कि महाविद्यालय प्रषासन इस सन्दर्भ में गम्भीर नहीं है तथा इसी कारण असमायोजित राशि घटने की बजाए प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। महाविद्यालय न केवल उन प्राध्यापकों/कर्मचारियों के अग्रिमों के समायोजन में विफल रहा है जो या तो सेवानिवृत हो चुके हैं अथवा स्थानान्तरण व अन्य कारणों से यह महाविद्यालय छोड़ चुके हैं अपितु उन प्राध्यापकों/कर्मचारियों के अग्रिमों के समायोजन में भी विफल रहा है जो कि वर्तमान में भी महाविद्यालय में ही कार्यरत है।

अतः उपरोक्त परिशिष्ट में दर्षाए गए सभी प्राध्यापकों/कर्मचारियों से अपेक्षित समायोजन व्यय लेखे प्राप्त कर के अग्रिमों का समायोजन यथा शीघ्र किया जाए, अन्यथा समस्त असमायोजित राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए। चूंकि संलग्न परिशिष्ट 'ज' के क्रम संख्या 7,11, से 14,16,19 से 21,24,26 से 28 तथा 32 पर वर्णित प्राध्यापक/कर्मचारी या तो सेवानिवृत हो चुके हैं अथवा स्वैच्छिक रूप से सेवा त्याग चुके हैं, अतः इन प्राध्यापकों/कर्मचारियों को सेवा निवृत/स्वैच्छिक सेवा त्याग के समय जारी अनापति प्रमाण पत्र का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए तथा इन व्यक्तियों से समायोजन लेखे अथवा अग्रिम राशि की वसूली न होने की अवस्था में सम्बन्धित राशि की वसूली अनापति प्रमाण पत्र जारी

करने वाले प्राधिकारी से सुनिष्चित की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण को दर्षाई जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस सन्दर्भ में कोई सकारात्मक कार्यवाही न करने के सन्दर्भ में भी अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट किया जाए।

15 jkf'k ₹13]88]569-00 dk vfu;fer Hkxrku %&

अंकेक्षण अवधि में महाविद्यालय द्वारा बिजली, पानी व टैलिफोन के बिलों के भुगतान व नगर निगम को सम्पति कर इत्यादि के भुगतान हेतु यथा पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'झ' ₹13,88,569.00 समिश्रित निधि से आहरित किए गए जो कि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। उपरोक्त ₹13,88,569.00 का भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ही किया गया जो कि एक गम्भी अनियमितता है।

अतः उपरोक्त ₹13,88,569.00 की राशि वापिस समिश्रित निधि में जमा करवाया जाना तथा अनियमित भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके कृत अनियमित भुगतान का नियमन करवाया जाना व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिर्षिचित किया जाए।

16 LVkd o Hk.Mkj.k y[k %&

(क) महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के स्टॉक लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि रसायन विभाग व ललित कला विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/अनुभाग, यहां तक कि महाविद्यालय के मुख्य कार्यालय के स्टॉक लेखों का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं रखा गया है। अत्याधिक प्रकरणों में वस्तुऐं जारी करते हुए प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर पर उपलब्ध नहीं है जिसकी अनुपस्थिति में जारी की गई वस्तुओं के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की खपत भी तिथिवार न करके एक मुष्त की हुई दर्षाई जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विभाग को 6 साबुन की टिकियां जारी की गई हैं तो उनकी खपत भी एक मुष्त ही दर्षाई गई है जबकि एक विभाग द्वारा एक मुष्त 6 टिकी साबुन का प्रयोग सम्भव नहीं है। अंकेक्षण के दौरान प्रत्येक विभाग/अनुभाग के विभागाध्यक्षों /कर्मचारियों से इस सन्दर्भ में विस्तृत चर्चा की गई थी। अतः भविष्य में इन पहलुओं पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(ख) प्राणि–विज्ञान विभाग के स्टॉक रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त विभाग द्वारा क्रय की गई विभिन्न आकार की जाँच नलिकाओं (Test tubes) की प्रविष्टियां इकट्ठी ही स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–86 पर की गई है जबकि यह प्रविष्टियां जाँच नलिकाओं के आकार के आधार पर पृथक–पृथक की जानी व खपत भी पृथकता से यथानुसार ही दर्षाई जानी अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना अगले अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

(ग) प्राणि–विज्ञान विभाग द्वारा वाऊचर संख्या 283/2008 कुल राशि ₹41,784.00 के अन्तर्गत M/s Scientific Solutions, Oak Villa, Out house, Jakhu से क्रय किए गए निम्नलिखित अनउपभोज्य (Non

Consumable) सामान की स्टॉक प्रविष्टियां उपभोजय (Consumable) सामान के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–276–277 पर ही गई है :–

Øekad	[kjhnh xbZ oLrq dk fooj.k iSek=k lfgr	oLrq dh dher izfr ;qfuV	oLrq dh dqy dher
1	One Analytical balance, 1gms	6,900.00	6,900.00
2	One water bath	4,000.00	4,000.00
3	5 Disecting Microscopes	1,200.00	6,000.00
4	2 Malmocytometers (Complete)	1,600.00	3,200.00
5	4 Haemoglobinometers	1,000.00	4,000.00

अतः उपरोक्त वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियां अनउपयोगिता (Non consumable) सामान के स्टॉक रजिस्टर में करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(घ) वाऊचर संख्या 207/2009 के अन्तर्गत मैसर्ज़ ज्ञान चन्द एण्ड सन्ज़, दि माल षिमला, से ₹2,970.00 में निम्न विवरणानुसार 4 ब्लेज़र के कोट क्रय किए गए :–

(1) 1 ब्लेज़र कोट साईज़ 36′′– ₹810.00

(2) 3 ब्लेज़र कोट साईज 32′′– ₹2,160.00

प्रत्येक ₹720.00

dqy ;ksx 2]970-00

उपरोक्त क्रय किए गए ब्लेज़र कोटों की स्टॉक प्रविष्टियां (प्राप्ती व जारी) समिश्रित निधि/भवन निधि के उपभोज्य स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–46 पर की गई है जिसके अनुसार यह चारों ब्लेज़र कोट महाविद्यालय के केन्द्रीय छात्र संगठन के पदाधारियों को जारी किए हुए दर्षाए गए हैं। किन्तु इन ब्लेज़र कोटों को प्राप्त किए जाने सम्बन्धी न तो किसी पदाधारी के हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर पर उपलब्ध है और न ही महाविद्यालय द्वारा इन कोटों को प्राप्त किए जाने सम्बन्धी किसी पदाधारी से प्राप्त किए जाने सम्बन्धी किसी पदाधारी से प्राप्त कोई अन्य पावती अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई जिसके अभाव में इन ब्लेज़र कोटों को जारी किए जाने सम्बन्धी स्टॉक रजिस्टर में कृत प्रविष्टि संदेहास्पद है।

अतः या तो सम्बन्धित पदाधारियों से इन कोटों के सन्दर्भ में पावती प्राप्त कर अंकेक्षण को दर्षाइ जाए, अन्यथा उपरोक्त ₹2,970.00 की वसूली सुनिष्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(ङ) श्री जगदीप सिंह, परीक्षा नियन्त्रक द्वारा वाऊचर संख्या 270/2008 के अन्तर्गत मैसर्ज़ हरिदास एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, सब्जी मण्डी, षिमला से क्रय किए गए निम्नलिखित सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–11 पर की गई है तथा इस सारे सामान की जारी/खपत प्रविष्टि इस प्रकार की गई है "All consumed-balance nil". खरीदे गए सामान का विवरण निम्नानुसार है :–

Øekad	[kjhns x, lkeku dk fooj.k o iek=k	jkf'k	dS'k eseks la[;k o fnukad
1	फोटो स्टेट कागज (ए–4) 2 रिम	250.00	23048 दिनांक 1.12.2008
2	फोटो स्टेट कागज–फुल साईज–2 रिम	320.00	23048 दिनांक 1.12.2008
3	फाईल फ्लैप्स–5 अदद	15.00	23048 दिनांक 1.12.2008
4	गम पेस्ट–1 शीषी	15.00	23048 दिनांक 1.12.2008
5	फाईल कवर–6 अदद	60.00	23048 दिनांक 1.12.2008
6	टाईपिंग पेपर–2 रिम	220.00	23048 दिनांक 1.12.2008
7	बॉल पैन (लाल) 80 अदद	560.00	23048 दिनांक 1.12.2008
8	बॉल पैन (नीले) 30 अदद	240.00	23048 दिनांक 1.12.2008
9	रिफिल्ज़ (लाल) 56	210.00	23048 दिनांक 1.12.2008
10	सैलोटेप– 2 रोल	50.00	23048 दिनांक 1.12.2008
11	प्लास्टिक रस्सी–1 रोल	100.00	23048 दिनांक 1.12.2008

चूंकि उपरोक्त सामान की आपूर्ति व जारी करने की प्रविष्टियों पृथक–पृथक की जानी व जारी/खपत की प्रविष्टियां तिथिवार की जानी अपेक्षित है, अतः कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार एक मुष्त खपत की प्रविष्टि करना अनुचित है। अतः भविष्य में अंकेक्षण के उपरोक्त सुझावानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

¼p½ [kjhns x, lkeku dh LVkWd izfof"V;ksa dh iqf"V vads{k.k ls u djokuk ½&

महाविद्यालय द्वारा समिश्रित निधि से संगीत विभाग हेतु निम्नलिखित सामग्री मैसर्ज़ बी0एस0 चानन सिंह एण्ड सन्ज़, लोअर बाजार से क्रय की गई जिसका भुगतान वाऊचर संख्या 232, माह 11/2009 द्वारा निम्न विवरणानुसार किया गया :–

1	Yamah key Board (one) Model No. DGX-230	₹23,600.00
2	Yamah key Board Stand(one)	

उपरोक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियों की पुष्टि अंकेक्षण से नहीं करवाई गई। अतः उक्त प्रविष्टियों की पुष्टि आगामी अंकेक्षण से करवाई जाए।

17 lefefJr fuf/k ls vukf/kd`r 0;; %&

महाविद्यालय के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में (चयनित मासों के) बिजली तथा पानी के बिलो का भुगतान व नगर निगम को देय साधारण एवं मल निकासी कर का भुगतान समिश्रित निधि से किया गया जो कि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था :–

Øekad	okÅpj la[;k	jkf'k	mís'; ftlds fy, lefefJr fuf/k ls 0;; fd;k x;k	vfHk;qfDr ¼;fn dksbZ gks½
1	269, माह 12/2008	5,27,691.00	नगर निगम षिमला को अदा किया गया वर्ष 2008–2009 का साधारण एवं मल निकासी कर	₹5,27,691.00 में से ₹4,74,00.00 का बजट शिक्षा निदेषालय से कार्यालय व्यय शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त होने पर दिनांक 26.3.2010 को यह राशि वापिस समिश्रित निधि में जमा कर दी गई है तथा शेष ₹53,691.00 की राशि अभी भी उक्त निधि में जमा करवाई जानी शेष है।
2	221, माह 11/2009	43,940.00	बिजली प्रभार की अदायगी	अंकेक्षण समाप्ति तक कोई राशि समिश्रित निधि में वापिस नहीं लौटाई गयी थी।
3	222, माह 11/2009	55,997.00	पानी प्रभार की अदायगी	अंकेक्षण समाप्ति तक कोई राशि समिश्रित निधि में वापिस नहीं लौटाई गयी थी।
4	223, माह 11/2009	5,27,691.00	नगर निगम, षिमला को देय साधारण एव मल निकासी कर की अदायगी	अंकेक्षण समाप्ति तक कोई राशि समिश्रित निधि में वापिस नहीं लौटाई गयी थी।

अतः अनाधिकृत व्यय की प्रतिपूर्ती समिश्रित निधि में अविलम्ब करने के अतिरिक्त किए गए भुगतान के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए ताकि अनियमित भुगतान का नियमन सम्भव हो सके व अनुपालना यथासमय अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

18 jkf'k ₹7]440-00 dk vuqfpr Hkqxrku %&

वाऊचर संख्या 220, माह 11/2009 की जाँच करने पर पाया गया कि इस वाऊचर के अन्तर्गत किसी केदार ठाकुर को महाविद्यालय की रंगमंच इकाई के विद्यार्थियों की नाटय प्रशिक्षण कार्यषाला तथा वर्ग–4 युवा

महोत्सव की प्रस्तुतियों के निर्देषन हेतु अवधि 1.10.2009 से 31.10.2009 का ₹7,440.00 का भुगतान समिश्रित निधि से किया गया।

चर्चा में बताया गया कि यह भुगतान विषेष सचिव (वित्त–वेतन संषोधन) के पत्र संख्या–फिन–(पी0आर) बी(7)–15/98–III, दिनांक 1.1.2008 की अनुपालना में अनुशिक्षक (Coach) वर्ग के अनुरूप ₹240.00 प्रतिदिन के हिसाब से किया गया। चूंकि अनुशिक्षक का पद दक्ष (Spilled) श्रेणी में आता है जिस हेतु शैक्षणिक व अन्य योग्यताऐं अनिवार्य हैं तथा महाविद्यालय द्वारा इस प्रकरण में श्री कैदार ठाकुर से न तो कोई शैक्षणिक योग्यता का और न ही कोई अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अर्थात यह तैनाती बिना औपचारिकताएं पूर्ण किये ही, की जाना प्रतीत होती है। जिससे स्वतः ही गुणवता का अभाव रहना स्वाभाविक है। अतः किया गया भुगतान अनुचित प्रतीत होता है। अतः क्या श्री केदार ठाकुर अनुशिक्षक श्रेणी हेतु सुपात्र भी थे अथवा नहीं के समर्थन में आवष्यक दस्तावेज प्राप्त करके अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त अनुचित भुगतान की प्रतिपूर्ती उचित स्त्रोत से करके (₹7,440.00 की राशि) वापिस समिश्रित निधि में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

19 jkf'k ₹2]000-00 dk Hkqxrku fcuk vkSipkfjdrkvksa ds djuk ¼&

वाऊचर संख्या 228, माह 11/2009 के सम्बन्ध वाऊचरों (Supporting Vouchers) की जाँच करने पर पाया गया कि श्री शशाँक शर्मा, कृष्णा भवन, लक्कड़ बाज़ार, षिमला को ₹2,000.00 का भुगतान दिनांक 13.10. 2009 से 15.10.2009 सोलन कॉलेज में हुए युवा महोत्सव के समय एक गिटार वादक व एक की–बोर्ड वादक (One Guitar Player and One Key Board Player) की सेवाएं प्रदान करने के एवज़ में किया गया। लेकिन उपरोक्त खरीद हेतु बाजारी दर प्रतियोगिता का लाभ उठाने के उद्देष्य से निविदाएं प्राप्त नहीं की गई अपितु एक फर्म से ही बिना बातचीत (Negotiation) के खरीद की गई। अतः बिना निविदा प्राप्त किए उपरोक्त खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनियमितरूप से की गई खरीद का सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुकूलन करवाया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

20 jkf'k ₹400-00 dk lansgkLin Hkqxrku ¼&

वाऊचर संख्या 219, माह 11/2009 की जाँच करने पर पाया गया कि इस वाऊचर द्वारा श्रीमति मीना शर्मा, कनिष्ठ सहायक को समिश्रित निधि से महाविद्यालय के सभा भवन (Auditorium) के पर्दों की मुरम्मत करवाने के एवज़ में चैक संख्या 721762, दिनांक 18.11.2009 द्वारा ₹400.00 का भुगतान किया गया क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इस कार्य हेतु मैसर्ज़ त्रिलोक नाथ एण्ड कम्पनी, मिडल बाज़ार, षिमला से उक्त फर्म के

कैश मैमों संख्या 3386, दिनांक 14.10.2009 द्वारा निम्नलिखित सिलाई की सामग्री क्रय की गई थी जिसका भुगतान उपरोक्त कर्मचारी द्वारा अपनी जेब से किया गया था जैसा कि उक्त कैश मैमों पर अंकित प्रमाण पत्र के अवलोकन से विदित होता है :–

1	5 मीटर Tetron	राशि ₹150.00
2	Tape (बिल में टेप की लम्बाई नहीं दर्षाई गई है।)	राशि ₹100.00
3	Rings (बिल में रिंगज़ की संख्या नहीं दर्षाई गई है।)	राशि ₹100.00
4	10 धागे	राशि ₹50.00
	dqy ;kx	jkf'k ₹400-00

यद्यपि यह भुगतान श्रीमति मीना शर्मा, कनिष्ठ सहायक को उन द्वारा सम्बन्धित फर्म को अपनी जेब से किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ती के रूप में हुआ है, तथापि उक्त कर्मचारी की वास्तविक प्राप्तकर्त्ता रसीद (Actual Payees receipt) अभिलेख में उपलब्ध होने की बजाए सम्बन्धित फर्म की वास्तविक प्राप्तकर्त्ता रसीद ही उपलब्ध है, जो कि उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मान्य नहीं हो सकती क्योंकि महाविद्यालय द्वारा वास्तव में भुगतान उपरोक्त कर्मचारी को किया गया है न कि उपरोक्त फर्म को। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही कर प्रामाणिक वास्तविक प्राप्तकर्त्ता रसीद अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

21 [kjhn lEcU/kh vkSipkfjdrkvksa esa dksrkgh djrs gq, ₹3]224-00 dk Hkqxrku %&

वाऊचर संख्या 284, माह 12/2008 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त वाऊचर द्वारा मैसर्ज़ हरिदास एण्ड कम्पनी स्टेषनर्ज़ प्राइवेट लिमिटेड को (Laser Printer 1022 के एक cartridge) की आपूर्ती के एवज़ में ₹3,224.00 का भुगतान चैक संख्या 930689, दिनांक 29.12.2008 द्वारा किया गया। लेकिन तत सम्बन्धी दस्तावेजों की जाँच करने पर पाया गया कि बिल के साथ संलग्न उपरोक्त फर्म को सम्बोधित आपूर्ति आदेश विधिवत प्रेषित नहीं किए गए हैं क्योंकि न तो इन आपूर्ति आदेषों में कोई पत्र संख्या और न ही इनके प्रेषण की तिथि अंकित है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के प्रेषण रजिस्टर में इस आपूर्ति आदेषों को जारी किए जाने सम्बन्धी प्रविष्टि भी नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि अपेक्षित Codal Formalities पूर्ण करने में महाविद्यालय कार्यालय महज औपचारिकता निभाकर कोताही कर रहा है।

अतः उपरोक्त कोताही के सन्दर्भ में अंकेक्षण को ठोस तथ्यों सहित अवगत करवाया जाए व भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति न होना भी सुनिष्चित किया जाए।

22 vfxze ds lek;kstu esa vfu;ferrk,a %&

वाऊचर संख्या 208, माह 11/2009 द्वारा श्री सन्तोष कुमार, व्याख्याता संगीत (वादक यंत्र) को हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय इंटर कॉलेज बैडमिंटन (महिला) प्रतियोगिता जो इन्दिरा गांधी खेल परिसार प्रांगण, षिमला–1

में आयोजित हुई थी, के सन्दर्भ में दिए गए ₹5,000.00 के अग्रिम का समायोजन किया गया हैं इस समायोजन बिल के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां की जाती हैं :–

(1) मैसर्ज़ कावासाकी आर्टस, ब्लाक नम्बर–4, एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, षिमला–9 से ₹1,200.00 +4% वैट प्रभार कुल राशि ₹1,248.00 मे बनवाए गए दो Flex Banners की स्टॉक प्रविष्टियां अंकेक्षण को नहीं दर्षाई गई। अतः अपेक्षित अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

(2) उपरोक्त व्याख्याता को यह अग्रिम 6.11.2009 को दिया गया है जबकि उन्होंने इस आग्रिम में से खर्च न हुए शेष ₹1,532.00 दिनांक 16.12.2009 को अर्थात एक महीने 10 दिनों बाद बिना दण्ड ब्याज क वापिस लौटाए हैं। अतः विलम्ब हेतु दण्ड ब्याज की वसूली सुनिष्चित करते हुए गणना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

23 nj lwph ¼Quotations½ dh vkSipkfjdrkvksa ls cpus ds fy, dk;Z foHkkftr ¼Piece meal½ ds :i esa djokuk %&

वाऊचर संख्या 256, माह 11/2008 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त वाऊचर द्वारा मैसर्ज़ हिम प्रिंटर्ज़ राम मन्दिर मार्किट, षिमला–1 को निम्नविवरणानुसार ₹1,664.00 का भुगतान वार्षिक परीक्षा के 1000 फार्मों की छपवाई करने हेतु किया गया :–

Øekad	QkeZ ds fcy dk fooj.k	Qkeksa dh la[;k o Nikbz nj izfr QkeZ	jkf'k ¼#i;ksa esa½
1	बिल संख्या 824, दिनांक 28.11.2008	600 फार्म ₹1.60 प्रति फार्म +4% VAT	998.00
2	बिल संख्या 827, दिनांक 3.12.2008	400 फार्म ₹1.60 प्रति फार्म +4% VAT	666.00
		dqy ;ksx	₹1]664-00

उपरोक्त वाऊचर के साथ संलग्न स्वीकृति से विदित होता है कि प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 21.11.2008 को 1000 फार्मों की छपवाई की स्वीकृति प्रदान की थी। किन्तु महाविद्यालय द्वारा 1000 फार्मों की छपवाई का कार्य एक मुष्त न करके इसे उपरोक्त विवरणानुसार विभाजित करके जानबूझ कर दो विभिन्न तिथियों मे करवाया है ताकि दर सूची (Quotations) इत्यादि की औपचारिक्ताओं से बचा जा सके। चूंकि महाविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही नियमों का उलंधन है। अतः इस सन्दर्भ में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस प्रकार की अनियमितता का सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमानुकूलन करवाया जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार के कृत्य से निष्चित तौर पर परिहार किया जाए।

24 fy¶V ds okf"kZd j[k&j[kko vuqca/k dk vfHkys[k mfpr izdkj ls u j[kuk %&

वाऊचर संख्या 234, माह 11/2009 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त वाऊचर द्वारा भवन निधि से मैसर्ज़ OTIS Elevator C/o India Ltd. D-4, Saket Place, Saket, New Delhi को महाविद्यालय भवन में स्थापित लिफ्ट के अवधि अक्तूबर 2009 से अक्तूबर, 2010 तक के वार्षिक रख–रखाव अनुबन्ध का ₹27,499.00 का भुगतान किया गया। क्योंकि वार्षिक रख–रखाव का यह सिलसिला लगातार चलने की सम्भावना है अतः अनुबन्ध के दस्तावेज उचित प्रकार से रखे जाने अपेक्षित हैं जबकि महाविद्यालय द्वारा समस्त दस्तावेज न केवल बिल के साथ संलग्न किए गए हैं अपितु उपरोक्त वार्षिक अनुबन्ध से सम्बन्धित कोई रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया है जिसमें उक्त अनुबन्ध की प्रत्येक सूक्ष्मताओं के अतिरिक्त उक्त अनुबन्ध के प्रति किए गए भुगतानेां का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध हो ताकि आवष्यकता पड़ने पर सभी सूचनाऐं तत्काल (At a glance) उपलब्ध हो सकें। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिष्चित कर अनुपालना आगामी समय में अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

25 y?k vkifÙk fooj.kdk %& इसे पृथकता से जारी नहीं किया गया। सभी लधु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया था।

26 fu"d"k %& लेखों में सुधार व प्रभावषाली नियंत्रण एंव पर्यवेक्षण की अत्यन्त आवष्यकता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे के सन्दर्भ मे त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है ताकि समय रहते इनका निष्पादन हो सके।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(i)................................., दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

i:thd'r 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ...., जिला ...., हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को षीघ्र भेजें ।

2. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश षिमला–171002.

3. निदेषक, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–171001.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.